संचिका सं0–6 एस0एस0 (11) 07/2020 – 2938 /

(63)

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार 'मुकुल', बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY
Registrar Cell
Dairy No 1704
Date 01/09/22
Campus, Patna-800014

सेवा में,

कुलसचिव,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 01/9 /2022

विषयः– सेवानिवृति के उपरान्त संविदा पर नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को चल–अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–71, दिनांक–21.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–14048, दिनांक–11.08.2022 के द्वारा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उक्त पत्र में अंकित है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरुपित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–4 का प्रावधान निम्नवत् है :–

"संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।"

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा नियोजित सरकारी सेवकों को नियमित सरकारी सेवकों की तरह समस्त कर्त्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत चल–अचल संपत्ति से संबंधित दायित्व भी सम्मिलित है।

सुलभ प्रसंग में पत्रांक–14048, दिनांक–11.08.2022 की प्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

31/8/22

सरकार के उप सचिव।

A.R.(Adm.)
01/9/22

S.M. Hussain
02/09/2022

पत्रांक –3/एम0–31/2019 सा०प्र०.14048..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

एम0 एस0 अंसारी
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 11–8–2022

विषयः– सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा पर नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को चल–अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–2358 दिनांक–13.07.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगवर्णित पत्र द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा पर नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को चल–अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी समर्पित करने संबंधी दिशा निर्देश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–4 का प्रावधान निम्नवत् है–

"संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।"

उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा नियोजित सरकारी सेवकों को नियमित सरकारी सेवकों की तरह समस्त कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन किया जाना है, जिसके अंतर्गत चल–अचल संपत्ति से संबंधित दायित्व भी सम्मिलित हैं।

विश्वासभाजन

(एम0 एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।